TEACHERNAMA

EXECUTIVE INTELLIGENCE BRIEF

बिहार कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला: 12 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा (BGHS)

दस्तावेज़ प्रकार: स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार - मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु संलेख
ज्ञापांक: 14/विविध-36/2016 (11) 154 / स्वा०, पटना
दिनांक: 27 मई 2026
वरिष्ठ संपादन इकाई: TeacherNama News Desk

पटना ब्यूरो: बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में अब तक का सबसे बड़ा सुधार अमली जामा पहना दिया है। दिनांक **27 मई 2026** को जारी आधिकारिक संलेख के अनुसार, बिहार कैबिनेट ने राज्य के सभी नियमित सरकारी अधिकारियों, कर्मियों, संविदा शिक्षकों, पेंशनभोगियों तथा बिहार विधान मंडल के वर्तमान व पूर्व सदस्यों के लिए **"बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना" (Bihar Government Health Scheme - BGHS)** के तहत कैशलेस अंतर्वासी (In-patient) चिकित्सा सुविधा को मंजूरी दे दी है।

1. योजना की पृष्ठभूमि और आवश्यकता

वर्तमान व्यवस्था में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पहले अपने स्तर से अस्पतालों को भुगतान करना पड़ता था। इसके बाद चिकित्सा प्रतिपूर्ति (Medical Reimbursement) के दावों की जांच विभिन्न स्तरों पर होने के कारण भुगतान में लंबा समय और प्रशासनिक अड़चनें आती थीं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों और कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए सरकार ने इस जटिल प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए कैशलेस व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।

2. लक्षित समूह और लाभार्थी (Target Group)

इस योजना के दायरे में लगभग **7,23,000 (सात लाख तेईस हजार)** कार्यरत सरकारी कर्मचारी और **4,74,000 (चार लाख चौहत्तर हजार)** पेंशनभोगी शामिल होंगे। पूर्ण विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	लाभार्थी श्रेणी (Target Group)	कवरेज का दायरा
1	बिहार विधान मंडल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्य	स्वयं एवं उनके आश्रित सदस्य (पति/पत्नी)

क्र.सं.	लाभार्थी श्रेणी (Target Group)	कवरेज का दायरा
2	अखिल भारतीय सेवा (AIS) के बिहार कैडर के अधिकारी	सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी एवं उनके आश्रित / पारिवारिक पेंशनर
3	राज्य सरकार के नियमित पदाधिकारी एवं कर्मचारी	माननीय उच्च न्यायालय, पटना के कर्मियों सहित एवं उनके आश्रित
4	राज्य के सेवानिवृत्त पेंशनधारी और पारिवारिक पेंशनर	स्वयं तथा पति/पत्नी

3. योजना का स्वरूप और वित्तीय ढांचा (Financial Rules)

यह योजना स्वास्थ्य विभाग के अधीन **बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति** के तहत एक पृथक स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करेगी। इसके प्रमुख वित्तीय एवं तकनीकी प्रावधान निम्नानुसार हैं:

- **ऐच्छिक सदस्यता (Voluntary Option):** यह योजना पूर्णतः ऐच्छिक होगी। कर्मचारियों के पास कालांतर में योजना से अलग होने (Opt-out) का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।
- **मेडिकल भत्ते से कटौती:** वर्तमान में मिल रहे 1000 रुपये प्रति माह चिकित्सा भत्ते की **90 प्रतिशत राशि (900 रुपये) की कटौती** की जाएगी, जो इस योजना के फंड में जाएगी। शेष 10 प्रतिशत राशि कर्मचारियों को मिलती रहेगी।
- **पेंशनभोगियों के लिए नियम:** सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों को इस योजना का सदस्य बनने के लिए **एक माह की पेंशन राशि एकमुश्त (One-time)** जमा करनी होगी।
- **प्रारंभिक कॉर्पस फंड:** योजना के सुचारू संचालन और त्वरित भुगतान संतुलन के लिए राज्य सरकार इस कॉर्पस फंड में **100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक एकमुश्त राशि** देगी।

> **आधिकारिक पत्र का मुख्य अंश *(कंडिका-6):***
> "इस योजना के अधीन लक्षित समूह के सदस्यों को सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों, एवं *CGHS* सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा अधिकतम *CGHS* दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज की स्थिति में पूर्व की भांति चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जाएगी।"

4. आईटी और प्रशासनिक अवसंरचना (Smart Card Setup)

योजना को पारदर्शी बनाने के लिए **State Data Centre** में एक अत्याधुनिक समर्पित पोर्टल संधारित किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से सभी लाभार्थियों को **Cashless Card** जारी किए जाएंगे। अस्पतालों का ऑनलाइन पैनलमेंट, दावों का त्वरित डिजिटल निस्तारण और शिकायतों का निपटारा इसी सिंगल-विंडो पोर्टल के माध्यम से होगा। स्वास्थ्य विभाग बहुत जल्द वित्त विभाग के परामर्श से इसके लिए विस्तृत **Standard Operating Procedure (SOP)** और दिशा-निर्देश जारी करेगा।

© 2026 TeacherNama Premium News & Research Analysis. सर्वाधिकार सुरक्षित।